28/7/2020- पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील उभय पक्षकारान ने बहस करना जाहिर किया। वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस व अवलोकन पत्रावली से वादीगण का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिग्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) यूपू

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : [illegible] / 2019
वाद दायरी दिनांक : [illegible] / 2019
निर्णय दिनांक : 22/10/2019

1. मोहन पुत्र रामकरण, जाति कुम्हार, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण, जाति कुम्हार, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. नेमीचन्द पुत्र रामकरण, जाति कुम्हार, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादीगण

बनाम

1. जवरीलाल पुत्र जग्गा उर्फ जगन्नाथ, जाति कुम्हार, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. बंशीलाल पुत्र जग्गा उर्फ जगनाथ, जाति कुम्हार, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. फुलादेवी पत्नी श्रवण, जाति कुम्हार हाल निवासी अमरपुरा वाया जोबनेर, जिला जयपुर, राज0।
4. गीता उर्फ शकुन्तला पुत्री श्रवण पत्नी नेमीचन्द, जाति कुम्हार, निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद हाल निवासी पॉवर हाऊस के पीछे, आकाशीय टीबा, फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
5. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. उपपंजीयक कार्यालय मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री ताज मौहम्मद रंगरेज
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री नरेन्द्र परेवा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 व 4

प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22/10/2019

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के आराजी खाता संख्या 252 के आराजी खसरा नम्बर 231, 232 कुल किता 02 कुल रकबा 1.1900 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित है, उक्त आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है, पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन नही हो रखा है, मौके पर उक्त विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं वादीगण ने अपने हिस्से में आयी आराजी में खाद बीज डालकर मेर डोल लगाकर काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है, जिसका वादीगण विधिवत तकासमा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने उक्त आराजीयात का काफी वर्षो पूर्व से बाहजोत करते चले आ रहे है, लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की मेर कोर को लेकर विवाद रखते है तथा भूमि का बिना तकासमा करवाये ही प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 बैचान करने पर आमादा है, दिनांक 30/05/2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजीयात का तकासमा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण तकासमा करवाने से साफ इन्कार हो गये एवं बिना तकासमा करवाये ही बैचान करने की धमकी दी, इसलिये यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 बाबत तकासका डिकी फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि विवादित आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स विभाजन किया जाकर लगान की फेटबन्दी अलहदा–अलहदा किया जाने के आदेश प्रदान करावें एवं पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 15/07/2019 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस मण्डावरी ने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 11/09/2019 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। प्रतियादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया गया। पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा जवाबदावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 252 ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद के अनुसार विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि विवादित आराजी विधिवत रूप से अविभाजित आराजीयात हैं तथा विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादी ने विवादित आरीयात का विधिवत रूप से बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार विभाजन करवाने की इस्तदुआ चाही है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर अपनी सहमति प्रदान की हैं। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जवाबदावा पेश कर मौके पर काबिज अनुसार विभाजन किये जाने बाबत निवेदन किया हैं, लेकिन चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना यह न्यायालय उचित समझती हैं। चूंकि विधिवत विभाजन किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान कारित नही होगा, इसलिये विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती है ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद ~~प्राथमिक डिक्री किया जाकर उभय पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाना उचित~~ प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 252 के आराजी खसरा नम्बर 231, 232 कुल किता 02

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

कुल रकबा 1.1900 हैक्टेयर भूमि जो कि वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 के मध्य बाइ मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार या यदि सहमति हो तो सहमति अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

[illegible] डिग्री

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (भारट द्वितीय) प्रथम मुकाम जयपुर

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

मोहन पुत्र रामकरण, ओमप्रकाश पुत्र रामकरण, नेमीचन्द पुत्र रामकरण जाति-कुम्हार नि० बोराज तह० मौजमाबाद बनाम मनटीलाल, बंशीलाल पुत्रान जग्गा व अन्य जाति-कुम्हार नि० बोराज, तह० मौजमाबाद बाबत तकसीम काश्तकारी

मुकदमा नं. 69 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री खान मोहम्मद फ़ारेज

व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री नरेन्द्र देरवा एडवोकेट नं. 1 व 2

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर श्री [illegible] प्रतिवादी सं० 3 व 4 प्रति० नं० 5 व 6 की ओर से [illegible]

वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित काश्तकारी खातेदारी संख्या 252 के खसरा नं० 231, 232 कुल किता 02 कुल रकबा 1.1900 हे० भूमि जो कि वाके ग्राम बोराज, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य बतौर हिस्सा [illegible] अंशों के हिसाब से फरीकैन के हिस्से के अनुसार या वादे सहमति के तो [illegible] तकसीम किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा किया जावे

तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 10 सन 2019 को जारी की गई।

मुहर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफ़रिक					
मीज़ान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।